

## फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़  
राजेश बनाम ग्यारसा वगैरा

दावा इस्तकरारहक बाबत

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ |
|-------------|--|---------------------------------|
| 02.04.2018  | <p>आज यह दावा वकील वादी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 30.04.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी<br/>लक्ष्मणगढ़ (अलवर)</p> <p style="text-align: center;">प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत केम्प कोर्ट में रखने योग्य माना जाता है। दावा राज्य लोक अदालत केम्प पत्रावली दिनांक 5/6/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर)</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली राज्य लोक अदालत केम्प कोर्ट में पंचायत मुख्यालय पदावली दिनांक 14/9/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (अलवर)</p> |                                 |

26/4/18




5-6-18



7.5.2018

# फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़ (अलवर)  
 राजेश बनाम धारमा कौशठ

| हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ  |
|------|---|---|
|      | <p>12.12.23 ..... उपखण्ड अधिकारी ..... उपस्थित<br/>                     साबिक आदेश दिनांक ..... 02.12.20.<br/>                     की पालना में पत्रावली वास्ते ..... शेष की तस्वीर 2,4,5,9,10,11 व अर्थात्<br/>                     दिनांक...10.12.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी<br/>                     गोविन्दगढ़ (अलवर)                 </p> <p>10/1/24 पत्रावली पेश। P.O. साहब V.B.S.N.<br/>                     को पेश हो।<br/>                     पत्रावली दिनांक ..... को पेश हो।<br/>                     08/02/24<br/>                     सीडर</p> <p>08-2-24 पत्रावली हस्तानु हई वकील वादी उपस्थित वकील<br/>                     वादी ने दावा NOT PRESS कर खारिज करने का निवेदन<br/>                     किया है। अतः दावा वकील वादी के NOT PRESS में<br/>                     खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शूमार होकर<br/>                     नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तरे</p> <p style="text-align: center;"> <br/>                     उपखण्ड अधिकारी<br/>                     गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०                 </p> | <p style="text-align: center;">                     Not Press<br/> <br/>                     8/2/2024                 </p> |